हिन्दुस्तान www.livehindustan.com

अपन

रेरा अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू करने को सक्रियता जरूरी

सारण प्रमंडल के आयुक्त समेत सभी डीएम कार्यशाला में हुए शामिल

छपरा, नगर प्रतिनिधि। फ्लैट-भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 को लागू किया गया था। इसलिए, जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन व अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित संवेदीकरण-सह-अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उपरोक्त बातें कहीं। उन्होंने सारण प्रमंडल के जिला व म्युनिसिपल प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं। यह भी कहा कि जिस तरह से जिला प्रशासन से रेरा अधिनयम के प्रावधानों के अनुपालन करने के लिए रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए पपत्र तैयार किया गया है उसी तर्ज पर अब नगर निकायों, आयोजन क्षेत्रों एव निबंधन विभाग से भी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रपत्र तैयार किये जायेंगे ताकि प्राधिकरण व इन इकाइयों में सूचना का आदान प्रदान नियमित रूप से हो सके व रेरा कानून का पालन और प्रभावी ढंग से कराया जा सके। सभी जिला पदाधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंचलाधिकारी नियमित रूप से रिपोर्ट दें ताकि रेरा अधिनयम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध करवाई की जा सकें। उन्होंने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा में जिला प्रशासन, नगर निकायों, आयोजन क्षेत्रों व निबंधन विभाग की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटर्स के विषय में प्राधिकरण को सूचित करना है ताकि कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सीवान के जिला पदाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता ने कहा कि रेरा अधिनियम पर आयोजित कार्यशाला में उन्हें पहली बार भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है और प्राप्त जानकारियां काफी उपयोगी रहीं। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी सी एच प्रशान्त कुमार ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा जागरूकता सम्बन्धी तैयार की गयी सामग्रियों को जिलों को भी दिया जाना चाहिए ताकि इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके। उप विकास आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल, सोनपुर के अनुमंडल पदाधिकारी आशीष कुमार एवं छपरा नगर निगम सहित सारण, सीवान व गोपालगंज के 24 नगर निकायों के अधिकारिओं ने इस कार्यशला में हिस्सा लिया। रेरा बिहार के सचिव अलोक कुमार, ओ एस डी राजेश थदानी, वरिष्ठ कानूनी सलाहकार शवेदप्रकाश व अन्य वरिष्ठ अधिकारिओं ने भी इस कार्यशला में हिस्सा लिया।

दीप जलाकर छपरा कलेक्ट्रेट में कार्यशाला का उद्घाटन करते रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह व अन्य। • हिन्दुस्तान

प्राधिकरण को एक तंत्र स्थापित करना चाहिए: डीएम

सारण के आयुक्त गोपाल मीणा ने प्राधिकरण को कार्यशाला आयोजित करने के लिए धन्यवाद दिया व कहा कि प्राधिकरण को यह प्रयास करना चाहिए पार्किंग के स्थल के विषय में भी बिल्डर उचित सूचना दें ताकि घर खरीदार अपने घर खरीदने से पहले उचित निर्णय ले सकें। जिला पदाधिकारी अमन समीर ने कहा कि प्राधिकरण को एक तंत्र स्थापित करना चाहिए ताकि निबंधित परियोजनाओं की सूचना जिला प्रशासन को नियमित रूप से दी जा सके, जिससे जिला प्रशासन अनिबंधित प्रोजेक्ट की पहचान कर उनकी सूचना प्राधिकरण को नियमित रूप से दे सके।